जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2025/ दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 208वीं बैठक दिनांक 20.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण **परिशिष्ठ 'अ'** पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	**208:1**	प्राधिकरण की भूमि एव सम्पत्ति निस्तारण समिति की 207वी बैठक दिनांक 20.02.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 207वीं बैठक दिनांक 20.02.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदया द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	6	**208:2**	नगरीय कचरे के प्रबंधन में प्रयुक्त संसाधनों की पार्किंग व अग्निशामक केन्द्र हेतु ग्राम चरणनदी तहसील जयपुर में खसरा नं. 80 में नगरीय कचरे के प्रबंधन में प्रयुक्त संसाधनों की पार्किंग व अग्निशामक केन्द्र हेतु 1000 व.मी. भूमि के निःशुल्क आवंटन बाबत्।	नगरीय कचरे के प्रबंधन में प्रयुक्त संसाधनों की पार्किंग व अग्निशामक केन्द्र हेतु ग्राम चरणनदी तहसील जयपुर में खसरा नं. 80 में 700 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा की चैक लिस्ट पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः जोन स्तर से चैक लिस्ट की पूर्ति की सुनिश्चितता किये जाने के निर्णय के साथ समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श पश्चात खसरा नम्बर 80 में वांछित प्रयोजनार्थ उपलब्ध 700 व.मी. भूमि भू–आवंटन नीति 2015 के क्रम में आवासीय आरक्षित दर+15 प्रतिशत की दर/शिथिलन पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	11	**208:3**	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत्।	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को निजी खातेदारी की योजना वास्तु नगर में उच्च जलाशय निर्माण हेतु प्राधिकरण की 204वीं बैठक में की गई भूमि आवंटन के संबंध में जोन द्वारा प्रस्तुत माननीय अपीलीय अधिकरण के स्थगन आदेश के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उच्च जलाशय निर्माण हेतु अन्य भूमि की तलाश किये जाने तथा समुचित भूमि प्राप्त होने की सुनिश्चितता पश्चात् पूर्व में 204वीं बैठक के निर्णय की शर्तों के अनुरूप ही भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जावे, तत्पश्चात् ही पूर्व में जारी किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाये।
4.	11	**208:4**	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनवाल मांझी को जविप्रा की अनुमोदित योजना रोहिणी नगर–प्रथम के सुविधा क्षेत्र भूखण्ड क्षेत्रफल 12619.29 वर्ग मीटर में से 4000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनवाल मांझी हेतु जविप्रा की योजना रोहिणी नगर–प्रथम के सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड क्षेत्रफल 12619.29 वर्ग मीटर में से 4000 वर्गमीटर भूमि नि:शुल्क भूमि आवंटन के प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि भू–आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 9.3 के अनुसार प्रस्तावित 4000 व.मी. भूमि [illegible] आवंटन का निर्णय लिया गया, साथ ही सुविधा क्षेत्र [illegible] क्षेत्रफल 12619.29 व.मी. में से शेष [illegible] के साथ प्रस्तुत की जाये।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.03.27 17:37:47 IST
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए [illegible] नेहरु मार्गए जयपुर.302[illegible]
दूरभाष.क़्91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क़्7019द्वरू फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

RajKaj Ref No.: 14346610

5.	11	**208:5**	सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–197–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर के स्थान पर मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 235.50 वर्गमीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 35.50 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।	सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–197–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर के बढे हुए क्षेत्रफल 35.50 वर्गमीटर भूमि के आवंटन बाबत् प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि– ● प्रस्तुत पार्ट प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या एस–197–सी के साथ लगते हुए भूखण्ड में भी बढा हुआ क्षेत्र दर्शित है, अतः पूर्ण ब्लॉक की नाप की जाकर सभी की माप सुनिश्चित करते हुए प्राप्त प्रस्ताव पर व्यावसायिक आरक्षित दर के दुगुने पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	11	**208:6**	जविप्रा, जयपुर की आवासीय योजना ''बालमुकुन्दपुरा'' में भूखण्ड संख्या बी–171 क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर का क्षेत्रफल मौके पर केवल 53.9 वर्गमीटर ही उपलब्ध होने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध भूखंडों में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने बाबत्।	जविप्रा, जयपुर की आवासीय योजना ''बालमुकुन्दपुरा'' में भूखण्ड संख्या बी–171 क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर का क्षेत्रफल मौके पर केवल 53.9 वर्गमीटर ही उपलब्ध होने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध भूखंडों में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर अनुमोदन का निर्णय किया गया किन्तु उससे पूर्व जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे कि– ● स्थगन आदेश की वर्तमान स्थिति को जांचते हुए एवं लगभग 20 वर्ष की अवधि के समयान्तर में प्रकरण में कोई और आदेश तो नहीं है, की भी सुनिश्चितता की जावे। ● नये प्लॉट की उपलब्धता/ निर्विवाद स्थिति सुनिश्चितता करते हुए भूखण्ड विनिमय करें।
7.	11	**208:7**	सेज पुर्नवास योजना ग्राम टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या 487–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर के स्थान पर मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 245.50 वर्गमीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 45.50 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।	सेज पुर्नवास योजना ग्राम टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या 487–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर के स्थान पर मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 245.50 वर्गमीटर होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 45.50 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव को आवासीय आरक्षित दर से दुगुने पर आवंटन के निर्णय के साथ अनुमोदित किया जाता है। जारी किये जाने से पूर्व जोन स्तर से इसकी सुनिश्चितता की जावें कि प्रस्तुत पार्ट प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 487–सी के साथ लगते हुए भूखण्ड में भी बढा हुआ क्षेत्र दर्शित है, अतः पूर्ण ब्लॉक की नाप बढ़े हुये क्षेत्र होने की स्थिति में शेष के भी प्रस्ताव भूखण्डधारियों की सहमति/आवेदन के आधार पर प्रस्तुत करें।
8.	12	**208:8**	जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार के बी ब्लॉक से प्रभावित 252 व.मी. (18 मीटर रोड) के 19 भूखण्ड, 252 व.मी. (9 मीटर) के 2 भूखण्ड एवं 45 व.मी. (12 मीटर रोड) के 10 भूखण्ड, 45 व.मी. (9 मीटर रोड) के 16 कुल 47 भूखण्डों को योजना के रिक्त भूखण्डों में लॉटरी से आवंटन बाबत्।	जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार में भूखण्डों का आवंटन जरिये लॉटरी के माध्यम से दिनांक 05.12.2007 को किया गया। योजना के बी ब्लॉक में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन प्रभावी होने के कारण 47 भूखण्डों (252 व.मी. (18 मीटर रोड) के 19 भूखण्ड, 252 व.मी. (9 मीटर) के 2 भूखण्ड एवं 45 व.मी. (12 मीटर रोड) के 10 भूखण्ड, 45 व.मी. (9 मीटर रोड) के 16) के आवंटियों को कब्जा एवं लीजडीड जारी नहीं की जा [illegible] इस तरह के न्यायिक [illegible] एवं काफी समय से भूखण्ड आवंटन नहीं किये जाने से [illegible] की छवि पर विपरीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.03.27 17:37:47 IST
Reason: Approved

				प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में योजना के सभी प्रभावित प्रकरणों पर ईकजाई निर्णय किये जाने हेतु एलपीसी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि– • समस्त आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों के आवेदकों से भूखण्ड की कैटेगरी के आधार पर समान क्षेत्रफल एवं यथासंभव समान सड़क पर आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने संबंधी सहमति ली जावे। साथ ही समान सड़क पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सभी भूखण्डधारियों से इस संबंध में पूर्व में ही सहमति लेकर पूल बनाकर कार्यवाही की जाये। • आवंटी द्वारा सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति मे राशि रिफण्ड किये जाने का निर्णय लिया गया। • प्रस्तावित सभी भूखण्डों के लिए तैयार किया गया प्लान पीडब्ल्यूसी की बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जावे। • वे आवेदक जिन्हें लॉटरी में पूर्व में आवंटित सड़क से बढ़ी सड़क पर भूखंड निकलता है उन्हें समतुल्यता के आदेश दिनांक 12.07.2024 की पालना में अंतर राशि जमा कराए जाने की सहमति के पश्चात ही लॉटरी में शामिल किया जाएगा और भूखंड आवंटन किया जाएगा अन्यथा जमा राशि के रिफंड की कार्रवाई की जावेगी।
9.	12	**208:9**	जविप्रा की आवासीय योजना रघुनाथ विहार के जिला कलक्टर महोदय के स्कूल हेतु आवंटन से डी ब्लॉक के प्रभावित भूखण्ड संख्या डी–211 से डी–213, डी–215, डी–216, डी–219, डी–226, डी–228 से डी–230, डी–233, डी–234, डी–236 से डी–240, डी–243 से डी–246, डी–248, डी–249 कुल 23 भूखण्डों को योजना के रिक्त भूखण्डों में लॉटरी से आवंटन बाबत। योजना में डी ब्लॉक के 9 भूखण्डों का पूर्व में विनिमय किया जा चुका है।	जविप्रा की आवासीय योजना रघुनाथ विहार में भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से दिनांक 16.03.2015 को किया गया। योजना के डी ब्लॉक में 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर जिला कलेक्टर जयपुर के द्वारा पूर्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं खेल मैदान रामसिंहपुरा हेतु आवंटित होने एवं विभिन्न भूखण्डधारियों द्वारा न्यायिक विवाद होने के कारण 23 भूखण्डों (भूखण्ड संख्या डी–211 से डी–213, डी–215, डी–216, डी–219, डी–226, डी–228 से डी–230, डी–233, डी–234, डी–236 से डी–240, डी–243 से डी–246, डी–248, डी–249) के आवंटियों को भूखण्डों का कब्जा एवं लीजडीड जारी नही की जा सकी। इस तरह के न्यायिक विवाद एवं काफी समय से भूखण्ड आवंटन नहीं किये जाने से प्राधिकरण की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में योजना के सभी प्रभावित प्रकरणों पर ईकजाई निर्णय किये जाने हेतु एलपीसी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि– • समस्त आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों के आवेदकों से भूखण्ड की कैटेगरी के आधार पर समान क्षेत्रफल एवं यथासंभव समान सड़क पर आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने संबंधी सहमति ली जावे। साथ ही समान सड़क पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सभी भूखण्डधारियों से इस संबंध में पूर्व में ही सहमति लेकर पूल

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.03.27 17:37:47 IST
Reason: Approved

				बनाकर कार्यवाही की जाये। ●आवंटी द्वारा सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति मे राशि रिफण्ड किये जाने का निर्णय लिया गया। ●प्रस्तावित सभी भूखण्डों के लिए तैयार किया गया प्लान पीडब्ल्यूसी की बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जावे। ●वे आवेदक जिन्हें लॉटरी में पूर्व में आवंटित सड़क से बढ़ी सड़क पर भूखंड निकलता है उन्हें समतुल्यता के आदेश दिनांक 12.07.2024 की पालना में अंतर राशि जमा कराए जाने की सहमति के पश्चात ही लॉटरी में शामिल किया जाएगा और भूखंड आवंटन किया जाएगा अन्यथा जमा राशि के रिफंड की कार्रवाई की जावेगी।
10.	12	**208:10**	SS Envicare Pvt. Ltd. को ग्राम महला तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 539 रकबा 1.52 हैक्टे. भूमि Integrated Waste Recycling And Treatment Facility हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	SS Envicare Pvt. Ltd. को ग्राम महला तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 539 रकबा 1.52 हैक्टे. भूमि Integrated Waste Recycling And Treatment Facility हेतु भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर प्रकरण में भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8.2 के प्रावधानानुसार यथाप्रस्तावित अविकसित भूमि के आधार पर कृषि भूमि की डीएलसी दर की 150 प्रतिशत+20 प्रतिशत की दर/शिथिलन की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
11.	12	**208:11**	ग्राम पंचायत दुर्जनियावास तहसील कालवाड के ग्राम सुदरियावास के खसरा नं. 29 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नं. 28 रकबा 0.5944 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4038 हैक्टे. में से 10,000.00 व.मी. भूमि ठोस कचरा प्रबंधन, गैराज एवं फायर स्टेशन हेतु आवंटन बाबत्।	ग्राम पंचायत दुर्जनियावास तहसील कालवाड के ग्राम सुदरियावास के खसरा नं. 29 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नं. 28 रकबा 0.5944 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4038 हैक्टे. में से 10,000.00 व.मी. भूमि ठोस कचरा प्रबंधन, गैराज एवं फायर स्टेशन हेतु आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार–विमर्श पश्चात खसरा नं. 29 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नं. 28 रकबा 0.5944 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4038 हैक्टे. में से 10,000.00 व.मी. भूमि भू–आवंटन नीति 2015 के क्रम में आवासीय आरक्षित दर+15 प्रतिशत पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
12.	13	**208:12**	राजस्थान राज्य क्रिडा परिषद् द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2024–25 के बिन्दु संख्या 65.2 में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय हेतु ग्राम अचरोल, तहसील आमेर में जविप्रा की संशोधित अनुमोदित योजना साइंस टेक सिटी में भविष्य विस्तार हेतु आरक्षित क्षेत्रफल 1,94,073.48 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	राजस्थान राज्य क्रिडा परिषद् द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2024–25 के बिन्दु संख्या 65.2 में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय हेतु ग्राम अचरोल, तहसील आमेर में जविप्रा की संशोधित अनुमोदित योजना साइंस टेक सिटी में भविष्य विस्तार हेतु आरक्षित क्षेत्रफल 1,94,073.48 व.मी. भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार 17.53 हैक्टेयर भूमि नि:शुल्क आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति राज्य सरकार की स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों [illegible] पर की जाती है।
13.	14	**208:13**	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चाकसू, जयपुर को जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी [illegible] जयपुर को जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम [illegible] तहसील चाकसू के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.03.27 17:37:47 IST
Reason: Approved

			नरहरपुरा, तहसील चाकसू के खसरा नं. 38 रकबा 6.17 हैक्टे. में से क्षेत्रफल 3000 व.मी. भूमि प्रस्तावित 18 मीटर व 12 मीटर सड़क पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उदयपुरिया के भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	नं. 38 रकबा 6.17 हैक्टे. में से क्षेत्रफल 3000 व.मी. भूमि प्रस्तावित 18 मीटर व 12 मीटर सड़क पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उदयपुरिया के भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव हेतु ग्राम नरहरपुरा, तहसील चाकसू के खसरा नं. 38 रकबा 6.17 हैक्टे. में से क्षेत्रफल 3000 व.मी. भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उदयपुरिया के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन नीति–2015 एवं विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुसार 2000 व.मी. भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया, शेष भूमि का प्लॉन बनाकर पीडब्ल्यूसी से अनुमोदन प्राप्त किया जावे।
14.	14	**208:14**	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा–माधोराजपुरा को जविप्रा योजना रोहिणी नगर–द्वितीय के सुविधा क्षेत्र में से 3000.00 व.मी. भूमि 18–24 मीटर सड़क पर राजकीय विद्यालय ग्राम चांदावास को खेल मैदान हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा–माधोराजपुरा को जविप्रा योजना रोहिणी नगर–द्वितीय के सुविधा क्षेत्र में से 3000.00 व.मी. भूमि 18–24 मीटर सड़क पर राजकीय विद्य ालय ग्राम चांदावास को खेल मैदान हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर भू–आवंटन नीति 2015 के प्रावधानानुसार स्कूल खेल मैदान हेतु प्रावधान नहीं होने के कारण प्रकरण भू–आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
15.	14	**208:15**	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा–माधोराजपुरा को जविप्रा योजना रोहिणी नगर–द्वितीय के सुविधा क्षेत्र में से 3000.00 व.मी. भूमि 18–18 मीटर सड़क पर राजकीय विद्यालय ग्राम चांदावास के भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा–माधोराजपुरा को जविप्रा योजना रोहिणी नगर–द्वितीय के सुविधा क्षेत्र में से 3000.00 व.मी. भूमि 18–18 मीटर सड़क पर राजकीय विद्य ालय ग्राम चांदावास के भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव हेतु रोहिणी नगर–द्वितीय के सुविधा क्षेत्र में से 3000.00 व.मी. भूमि राजकीय विद्यालय ग्राम चांदावास के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन नीति–2015 एवं विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुसार 2000 व.मी. भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया।
16.	14	**208:16**	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर को परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के अंतर्गत घोषणा संख्या 91(04) में जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू के खसरा नं. 1746 रकबा 7.16 हैक्टे. में से (प्रस्तावित 18 मीटर सड़क पर) राजकीय बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु भू–आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने के संबंध में।	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर को परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के अंतर्गत घोषणा संख्या 91(04) में जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू के खसरा नं. 1746 रकबा 7.16 हैक्टे. में से (प्रस्तावित 18 मीटर सड़क पर) राजकीय बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु भू–आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि– ● जविप्रा की योजना रोहिणी नगर से प्रस्तावित भूमि की दूरी एवं वर्तमान आबादी से दूरी की सुनिश्चितता की जावे। ● प्रकरण आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
17.	14	**208:17**	रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रा.लि. कम्पनी (राजस्थान रॉयल्स) को नवीन	रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रा.लि. कम्पनी (राजस्थान रॉयल्स) को नवीन स्टेडियम / स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हेतु जविप्रा की योजना नॉलेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.03.27 17:37:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14346610

			स्टेडियम/स्पोर्टर्स कॉम्पलेक्स हेतु जविप्रा की योजना नॉलेज सिटी साउथ–चित्तौडा के संस्थानिक (Higher order Educational Institute) उपयोग के संख्या HO-1 से HO-10 कुल क्षेत्रफल 28.79 हैक्टेयर (60–60 मीटर सड़क पर) भूमि का आवंटन किये जाने बाबत्।	सिटी साउथ–चित्तौडा के संस्थानिक (Higher order Educational Institute) उपयोग के संख्या HO-1 से HO-10 कुल क्षेत्रफल 28.79 हैक्टेयर (60–60 मीटर सड़क पर) भूमि का आवंटन किये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि– ● भू–आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8.2 के प्रावधानानुसार संस्थानिक आरक्षित दर के 200 प्रतिशत+15 प्रतिशत के आधार पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। ● प्रस्तावित भूमि जविप्रा की योजना नॉलेज सिटी साउथ के संस्थानिक भूखण्ड जिनका भू–उपयोग (Higher order Educational Institute) के लिए दर्शित है के भू–उपयोग परिवर्तन के साथ–साथ प्रस्तावित आवंटन के आधार पर योजना का ले–आउट प्लान तैयार कर पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावें।
18.	14	**208:18**	निजी खातेदारी की प्रस्तावित योजना श्री वाटिका के भाग ''अ'' में सम्मिलित हरित विहार योजना की 30 मीटर सड़क पर पट्टीनुमा प्रस्तावित व्यावसायिक भू–उपयोग भूमि क्षेत्रफल 373.34 व.मी. व 18 मीटर सड़क पर प्रस्तावित यू–2, भू–उपयोग भूमि क्षेत्रफल 510.37 व.मी. एवं भाग ''ब'' की प्रस्तावित भूमि के सामने स्थित जविप्रा स्वामित्व का खसरा नं. 1950 की प्रस्तावित यू–2, भू–उपयोग भूमि क्षेत्रफल 392.95 व.मी. को विनिमय के आधार पर समान क्षेत्रफल के आवासीय व व्यावसायिक भूखण्ड जविप्रा स्वामित्व में रखे जाने के संबंध में।	निजी खातेदारी की प्रस्तावित योजना श्री वाटिका के भाग ''अ'' में सम्मिलित हरित विहार योजना की 30 मीटर सड़क पर पट्टीनुमा प्रस्तावित व्यावसायिक भू–उपयोग भूमि क्षेत्रफल 373.34 व.मी. व 18 मीटर सड़क पर प्रस्तावित यू–2, भू–उपयोग भूमि क्षेत्रफल 510.37 व.मी. एवं भाग ''ब'' की प्रस्तावित भूमि के सामने स्थित जविप्रा स्वामित्व का खसरा नं. 1950 की प्रस्तावित यू–2, भू–उपयोग भूमि क्षेत्रफल 392.95 व.मी. को विनिमय के आधार पर समान क्षेत्रफल के आवासीय व व्यावसायिक भूखण्ड जविप्रा स्वामित्व में रखे जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर यथाप्रस्तावित विनिमय के आधार पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जोन द्वारा जविप्रा को प्राप्त विनिमय भूखण्डों का कब्जा लिया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं उक्त भूखण्ड लैण्ड बैंक में शामिल किया जावे।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.03.27 17:37:47 IST
Reason: Approved

9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.03.27 17:37:47 IST
Reason: Approved